अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक– प.4(IV)/कृ.यं/2016–17/754–867 दिनांक : 13-5-2016

1. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0)/तिलहन।
2. परियोजना निदेशक, कृषि (वि0) सी.ए.डी. कोटा।
3. समस्त उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद/ ईगानप, बीकानेर।
4. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (वि0)।

विषयः– स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (SSDG) पोर्टल के ऑन लाईन एप्लीकेशन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रभावी निस्तारण बाबत्।

संदर्भः– आयुक्तालय के पूर्व पत्रांक 183–229 दिनांक 25.04.2016 एवं 242–288 दिनांक 03.05.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा SSDG पोर्टल पर कृषि यंत्रों की लम्बित पत्रावलियों की संख्या को गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकार की पत्रावलियों के अविलम्ब निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था। आयुक्तालय के पत्रांक 243–363 दिनांक 11.05.2016 के द्वारा आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव कृषि महोदय ने विशिष्ठ अभियान चलाकर SSDG पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण सात दिवस में करवाने के निर्देश प्रदान किये है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि स्वीकृत आवेदन पत्रों का SSDG पोर्टल पर अविलम्ब निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 31 मार्च 2016 तक स्वीकृत आवेदन वित्तीय वर्ष 2016–17 में SSDG पोर्टल पर लम्बित पत्रावलियों की श्रेणी में सम्मिलित ना हो। साथ ही भविष्य में SSDG पोर्टल पर ऑन लाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियमित रूप से अवलोकन कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करावे।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

क्रमांक– प.4(IV)/कृ.यं/2016–17/754–867. दिनांक : 13-5-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. एसीपी–उप निदेशक, मु0, जयपुर को उनकी शाखा के यू0 ओ0 नोट क्रमांक 237–41 दिनांक 11.05.2016 के क्रम में।

उप निदेशक कृषि (अभि0)